राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1607/2009

ओम प्रकाश शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
3. अधीक्षक, जनाना अस्पताल, जयपुर।
4. मंगल चन्द मीणा पुत्र श्री जीवन राम मीणा, टेलीफोन ऑपरेटर–सह–एलडीसी, जनाना अस्पताल, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.11.2009

आदेश की दिनांक : 16.08.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री मनोज कुमार, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य वरिष्ठता सूची दिनांक 20.06.2009 एवं आदेश दिनांक 26.08.2009 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को वरिष्ठता में उचित स्थान दिया जावे और अपीलार्थी को एलडीसी/एलडीसी कम टेलीफोन ऑपरेटर के पद पर पदोन्नति जिस दिनांक से उससे कनिष्ठ को दी गई है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी दी जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दिनांक 15.05.1981 को नियुक्त हुआ था। प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा वरिष्ठता सूची दिनांक 18.01.2002 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की प्रकाशित की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 70 पर एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम क्रम संख्या 80 पर दर्शाया गया और इस प्रकार अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से वरिष्ठ है। आदेश दिनांक 20.06.2009 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो जनाना अस्पताल में कार्य कर रहे थे, उनकी वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 57 पर और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम क्रम संख्या 46 पर दर्शाया गया और उसकी नियुक्ति दिनांक 02.10.1978 से दर्शायी गई तथा अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 14.07.1981 दर्शायी गई। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 अपीलार्थी से कनिष्ठ होने के बावजूद उसे वरिष्ठता सूची के आधार पर एलडीसी कम टेलीफोन ऑपरेटर के पद पर डीपीसी के माध्यम से पदोन्नति प्रदान की गई, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन दिया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया। अपीलार्थी ने प्रथमा परीक्षा वर्ष 1984 में हिन्दी साहित्य सम्मलेन, इलाहाबाद से उत्तीर्ण की है, जो राजस्थान सरकार के दसवीं परीक्षा के समकक्ष है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी जिन्होनें दिनांक 23.09.1985 से पूर्व प्रथमा परीक्षा हिन्दी साहित्य सम्मलेन, इलाहाबाद से उत्तीर्ण की है, वह हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष माना है और इस प्रकार अपीलार्थी उक्त पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित रखा गया। जबकि अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से वरिष्ठता में आगे है फिर भी उसे पदोन्नति प्रदान नहीं की गई।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य वरिष्ठता सूची दिनांक 20.06.2009 एवं आदेश दिनांक 26.08.2009 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को वरिष्ठता में उचित स्थान दिया जावे और अपीलार्थी को एलडीसी/एलडीसी कम टेलीफोन ऑपरेटर के पद पर पदोन्नति जिस दिनांक से उससे कनिष्ठ को दी गई है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी दी जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 15.05.1981 है और अपीलार्थी ने

प्रथमा परीक्षा वर्ष 1984 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद से उत्तीर्ण की है, जिसे आदेश दिनांक 28.06.1985 के द्वारा अमान्य (de-recognized) कर दिया गया। अस्थाई वरिष्ठता सूची को आदेश दिनांक 20.06.2009 के द्वारा रिवाईज किया गया, जिसमें निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को क्रम संख्या 46 पर और अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 57 पर दर्शाया गया। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की नियुक्ति दिनांक 02.10.1978 दी गई। जबकि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 15.05.1981 की है और इस प्रकार निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 अपीलार्थी से वरिष्ठ है, जिसके कारण निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को एलडीसी कम टेलीफोन ऑपरेटर के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। जबकि अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से वरिष्ठता में नीचे है और एलडीसी कम टेलीफोन ऑपरेटर के पद के योग्य नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दिनांक 15.05.1981 को नियुक्त हुआ था। आदेश दिनांक 20.06.2009 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो जनाना अस्पताल में कार्य कर रहे थे, उनकी वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 57 पर और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम क्रम संख्या 46 पर दर्शाया गया और उसकी नियुक्ति दिनांक 02.10.1978 से दर्शायी गई तथा अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 14.07.1981 दर्शायी गई। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 अपीलार्थी से कनिष्ठ होने के बावजूद उसे वरिष्ठता सूची के आधार पर एलडीसी कम टेलीफोन ऑपरेटर के पद पर डीपीसी के माध्यम से पदोन्नति प्रदान की गई, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित रखा गया। जबकि अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से वरिष्ठता में आगे है फिर भी उसे पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। जहां तक अपीलार्थी को एलडीसी कम टेलीफोन ऑपरेटर के पद पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के साथ पदोन्नत नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की नियुक्ति दिनांक 02.10.1978 को हुई है। जबकि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 14.07.1981 को हुई है। इस प्रकार नियुक्ति के आधार पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 अपीलार्थी से वरिष्ठ है और एलडीसी कम टेलीफोन ऑपरेटर के पद के लिये

अपीलार्थी ने प्रथमा परीक्षा हिन्दी साहित्य सम्मलेन, इलाहाबाद से उत्तीर्ण की है, जो राज्य सरकार द्वारा डी–रिकॉगनाईज्ड कर दी गई है। इस प्रकार उक्त योग्यता उक्त पद के लिये योग्य प्रकट नहीं होती है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रकट नहीं होने के कारण खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)